

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./94/09/355

भोपाल,दिनांक 29-3-10

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में व्याख्याता (व्याव.शिक्षा)के पद सहित तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह स्थानान्तरण स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर किये जा रहे है अतः इन्हे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादी की पात्रता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री श्रीमती ज्यात्सना गुर्जर (व्याव. शिक्षा परेलू उपकरण सुधार ट्रेड)	AM 3190	शास.कृषि महाविद्यालय पवारखेडा जिला-हॉशगाबाद	23370377705	शा.कमला नेहरू उ. मा.वि.भोपाल	23320877716
2.	श्रीमती माधुरी जुनधरे (व्याव. शिक्षा रिपेयर्स ऑफ इले. डोमेस्टिक एप्लायन्सेस एण्ड रिवाइडिंग)	AL 6157	डॉ.बी.आर.अम्बेडकर उत्कृ.उ.मा.वि. जिला हरदा	23360177701	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. पान्दुर्णा जिला छिन्दवाडा	23430877701
3.	श्री कमलेश कुमार शर्मा (बैंकिंग सहायक)	BC 7330	शास.उत्कृ. उ.मा.वि. मझौली जिला सीधी	28179977746	शास.उ.मा.वि.मार्तण्ड क्रमांक-2 रीवा जिला रीवा	28140177702
4.	श्री संजीव जैन (फोटो ग्राफी)	AL 6679	शास.उत्कृ. उ.मा.वि. हॉशगाबाद	23370377701	शास.राजाभोज उ. मा.वि. 1100क्वार्टर्स भोपाल	2332087725

दिनांक 31.3.2010 के उपरांत मुक्त किया जाये।

‘प्रशासकी अनुमोदन अनुसार’


आयुक्त


लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 29-3-10

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./94/09/356
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर,जिला हॉशगाबाद/भोपाल/हरदा/छिन्दवाडा/सीधी/रीवा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतयत जिला हॉशगाबाद/भोपाल/ हरदा / छिन्दवाडा / सीधी/रीवा।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय हॉशगाबाद/भोपाल/जबलपुर/रीवा।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला हॉशगाबाद/भोपाल/हरदा/छिन्दवाडा/सीधी/रीवा।

7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला होंशगाबाद / भोपाल / हरदा / छिन्दवाड़ा / सीधी / रीवा ।
म.प्र. की ओर अभिलेख कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के कियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
8. संबंधित प्राचार्य को आर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


सहायक संचालक

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./94/09/353

भोपाल, दिनांक 29-3-10

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती तसनीम यादव (रसायन)	AA 2833	प्रभारी प्राचार्य शास. हाईस्कूल में शास.उ. मा.वि.मालीखेडी भोपाल किये गये स्थानान्तरण में संशोधन कर	अप्राप्त	नॉकल शास.उ.मा. पि.शाहजहानाबाद भोपाल	23320877723

दिनांक 31.3.2010 के उपरांत मुक्त किया जाये।
"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"



आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 29-3-10

पृष्ठा क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./94/09/354
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भोपाल।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल।
7. जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./94/09/357

भोपाल, दिनांक 29-3-10

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में (प्रशासनिक स्थानान्तरण) तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री एम.एम.खान (रसायन)	AA 1095	शास.मॉडल उ.मा. वि.शाहजहानाबाद भोपाल	23320877723	शास.उ.मा.वि.आनंद नगर जिला भोपाल	23320877727

दिनांक 31.3.2010 के उपरांत मुक्त किया जाये।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 29-3-10

पृष्ठा क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./94/09/358

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. फलेक्टर जिला भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भोपाल।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल।
7. जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल।
8. संबंधित प्राचार्यो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.